Motion for Election to the Committee on Public Undertakings

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, I move:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha, do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Jibon Roy, who retired from Rajya Sabha and do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for a discussion before bringing into effect Foreign Direct Investment in the retail sector

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आपकी आज्ञा से संक्षेप में मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): क्या परमिशन ली है आपने?

श्री सभापति: परमिशन ली है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, हम लोगों ने खुदरा व्यापार में सीधे विदेशी निवेश के संबंध में सदन में बहस के लिए प्रस्तावित किया था और उसे स्वीकार कर लिया था। यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश के करोड़ों लोगों का जीवन संबंधित है और साथ ही साथ यह एक महत्वपूर्ण नीति का विषय भी है जिस पर सदन में गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। यह चर्चा आपने स्वीकार की थी और यह कल की लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी थी। पहले बहस के रूप में यह स्वीकार हुई थी और बाद में हमें यह बताया गया कि मंत्री महोदय के पास पूरा समय नहीं है इसलिए इसको एक अल्पकालिक प्रश्न के तौर पर लिया जा सकता है। हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी और उसी के अनुसार यह कल की कार्यसूची में प्रसारित कर दी गई थी। लेकिन आज हमने देखा कि उसका उल्लेख उसमें नहीं है। श्रीमन्, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस बीच में माननीय प्रधान मंत्री जी का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने यह कहा कि वे विदेशी निवेश के

लिए खुदरा व्यापार में सभी पार्टियों को और सभी पक्षों को मना लेंगे और उनको कंविंस कर लेंगे। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से एक नोट प्रसारित हुआ है जिसमें शत-प्रतिशत, हंड्रेड परसेंट एफ॰डी॰आई॰ को रिटेल ट्रेड में लाने की सिफारिश की गई हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर बहस होना बहुत अनिवार्य है और बिना इस बहस के इस पर सरकार को कोई नीति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, नीति प्रसारित नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि आज सत्र का अन्तिम दिवस है, जिसमें बहस सम्भव नहीं है। तो मैं सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि एक तो अगले सत्र के आने तक, जब तक इसमें बहस नहीं हो पाए, तब तक एफ॰डी॰आई॰ को रिटेल में लागू करने की नीति के बारे में सरकार की तरफ से घोषणा नहीं होनी चाहिए। जब तक दोनों सदनों में इस पर गंभीरता से विचार नहीं हो जाए और सभी पक्षों से विचार नहीं हो जाए और इसके हानि और लाभ के बारे में गंभीरता से मन्थन नहीं हो जाए, तब तक इस पर किसी नीति की घोषणा नहीं की जानी चाहिए, यह आश्वासन मैं सरकार से चाहता हूं।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): सभापति महोदय, पिछले हफ्ते जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर सदन में थे तो इस बारे में पूरे हाउस की एक सहमति बन गई थी कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार को कतई ऐसी कोई नीति नहीं अपनानी चाहिए जिससे लाखों करोड़ों हमारे लोग, जो इस रिटेल ट्रेड में शामिल हैं, वे प्रभावित हों। उस समय इसके बावजूद भी कि यह सहमति बन गई थी, उस समय कॉमर्स मिनिस्टर ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। यह भी हम समझ सकते हैं हो सकता है कि किसी व्यस्तता के कारण आज वे हाउस में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ, क्योंकि उस दिन जो एटीट्यूड था, मिनिस्टर साहब का, हमें लगा कि यह सम्भावना है कि सदन के बाहर ऐसी कोई नीति अपनाई जाएगी, जिससे fait accompli हो जाएगा, रिटेल ट्रेड के बारे में, सरकार की नीतियों के आधार पर। इसलिए हम यह भी चाहते हैं, एक आश्वासन चाहते हैं, सरकार की तरफ से, कि इस प्रकार की कोई नीति नहीं अपनाई जाएगी, जिससे बगैर सदन की अनुमति के और बगैर तमाम पौलिटिकल पार्टीज के बातचीत किए, वह इस प्रकार की नीति नहीं अपनाए, जिसमें, एफ॰डी॰आई॰ रिटेल ट्रेड में लाया जाएगा।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सम्मानित सभापति महोदय, आदरणीय जोशी जी और सम्मानित वृंदा कारत जी ने जो मुद्दा उठाया है, वह महत्वपूर्ण भी है और सामयिक भी है। महत्वपूर्ण कई मायनों में है और सामयिक इसलिए है कि यह पहले तय हुआ था और कुछ अपरिहार्य कारणों से रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज चर्चा के लिए नहीं आ पाया है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि ऐसे अनेक पुराने प्रिसीडेंस हैं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में कोई मुद्दा आया हो और फिर रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में वह चेंज हो गया हो। मैं उन पुरानी तिथियों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैंने यह कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है,

तो इसकी गंभीरता को लेते हुए, मैं माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं, उनसे न केवल वाणिज्य मंत्री जी को अवगत करा दूंगा, बल्कि प्रधान मंत्री जी को भी अवगत करा दूंगा, ताकि इस दिशा में वह समुचित कदम उठा सकें।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: माननीय सभापति महोदय, इस मामले में जब तक ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: हो गया। ठीक है, ठीक है।...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जब तक इस मामले में सदन को पूरी तरह से विश्वास में न लिया जाये, तब तक सरकार इस पर कोई कार्यवाही न करे, इसका आश्वासन हम चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सर, भावनाएं तो वाणिज्य मंत्री जी ने उस दिन भी सुन ली थीं। पूरा का पूरा सदन एकमत था। वह स्वयं यहां बैठे हुए थे, उस दिन भी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया और इसलिए हमने बहस की मांग की और आपने बहस स्वीकार की।...**(व्यवधान)**..

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: वाणिज्य मंत्रालय ने जो नोट दिया है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बात तो वही है।...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जी। हम इस पर आश्वासन चाहते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): सर, हम आपके जरिए से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। सरकार की जो नीति है, उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता रोजगार सृजन के ऊपर दी गई है। यह ऐसा क्षेत्र हैं, जहां पर रोजगार का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस सवाल पर जो कम से कम हमें लग रहा है कि एफडीआई होने से सरकार का जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसका भी काफी हद तक उल्लंघन होगा। इसलिए कम से कम यह बात तो कही जा सकती है कि सबको संज्ञान में लेते हुए, सरकार कुछ फैसला करेगी, यह बोलने में क्या हर्ज है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आप इसके बारे में सरकार को निर्देश दे दें।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: माननीय सदस्य इतना चाहते हैं कि सब माननीय सदस्यों को या जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है, उन सबको विश्वास में लेकर कोई कदम उठाया जाये।...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार सदन को विश्वास में ले। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: वह ठीक है। लेकिन जो भी बहस होगी।...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: इस पर बहस ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सर, सरकार की मंशा ऐसी लग रही है कि सदन बंद

होते ही, कोई एक आर्डिनेंस से आयेगी या यहां पर कोई पालिसी डिसीज़न अनाउंस नहीं करेगी।...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सर, पेटेंट के मामले में ऐसा हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, हमारा सवाल यह नहीं है। एक रचनात्मक तरीके से इस सदन की जो भावना है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपने जो कहा है।...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सर, सरकार ने वह आश्वासन नहीं दिया है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह आयेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि सरकार सबके साथ बैठकर ही कोई फैसला करे।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, अगर सरकार आश्वासन नहीं देती है, तो आप उसको निर्देश दे दें। ...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सर, आप सरकार को निर्देश दे दें कि इस पर बिना सदन में चर्चा के नीति घोषित नहीं होगी।...(व्यवधान)..

श्रीमती सुषमा स्वराज: सरकार आश्वासन न दे, तो पीठ निर्देश दे दे।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं निर्देश तो नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)... मैं निर्देश नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सर, सरकार को आश्वासन देने में क्या आपत्ति है? अगर सरकार की इच्छा कोई नीति इस बीच में घोषित करने की नहीं है, तो स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि हम कोई ऐसी नीति घोषित नहीं करेंगे।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: इनकी नीयत घोषित करने की है। जैसा कि पेटेंट में किया था आर्डिनेंस से आये थे।...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: उसके आधार पर हम यह कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नेक्स्ट। श्री दीपांकर मुखर्जी ।...(व्यवधान)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: सर, ये कोई आश्वासन देंगे या नहीं? ...(व्यवधान)..

श्री यशवंत सिन्हा (झारखंड): सर, इसके बारे में क्या हुआ? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: चर्चा हो गयी। आपने मुझसे कहा था कि हम इस मामले को रेज़ करना चाहते हैं। आपने रेज़ कर लिया, जो बोलना था, वह बोल लिया।...(व्यवधान)... आप मेरी सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: सर, क्या सरकार की यही नीति रहेगी कि यहां पर कोई आश्वासन नहीं दिया जायेगा। ...(**व्यवधान**)... ऐसे कैसे चलेगा? ...(**व्यवधान**).. .हम लोग सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि आज के इस सेशन के बाद और अगले सेशन तक यह इस तरह का पालिसी डिसीजन नहीं लेगी। यह आश्वासन देने में इनको क्या दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: दो महीने में आसमान थोड़े ही गिर जायेगा ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, न विपक्ष बैठा हुआ है ...(**व्यवधान**)... सत्ता पक्ष के समर्थक दल भी हमारे साथ हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): ऑर्डीनेंस नहीं आएगा, ऐसा एश्योरेंस दे दें। ...(**व्यवधान**)... इतना आश्वासन हमें आप दे दें। ...(**व्यवधान**)...

†[شری شاہد صدیقی: آرڈی نینس نہیں آئے گا، ایسا اشورینس دے دیں۔ ...مداخلت... اتنا آشواسن ہمیں آپ دے دیں۔]

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): पूरा सदन एक राय का है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, an assurance from the Government today in this House will suffice ...*(interruptions)*... सभापति जी, एक दफा ये बगले झांक कर निकल गए हैं, इसलिए दोबारा आज के दिन नहीं निकलेंगे ...(**व्यवधान**)... आज के दिन हमें स्पष्ट आश्वासन चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जो ...(**व्यवधान**)... इस समय सदन में उपस्थित हैं, वह देखिए, समूचा प्रतिपक्ष इकट्ठा है। सत्ता पक्ष के समर्थक दल इस ईश्यू पर इकट्ठे हैं। यानी अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष की अपनी बेंचिज़ को छोड़कर पूरे का पूरा सदन यह आश्वासन उनसे चाह रहा है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHAHID SIDDIQUI: Sir, we want an assurance from the Government that they would not take any policy decision ...*(interruptions)*...

श्री राजू परमार (गुजरात): आप अकेली ही चाहती हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सत्ता पक्ष के समर्थक दल, वामपंथी, समाजवादी और पूरा ...(**व्यवधान**)... केवल सत्ता पक्ष की बेंचिज़ पर बैठे हुए लोगों को छोड़कर, समूचा सदन यह आश्वासन चाहता है कि ...(**व्यवधान**)...

---

†Transliteration in Urdu script.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, रोज़गार गारंटी का इनका जो प्रावधान है, वह भी इसको निरस्त कर देगा क्योंकि यह करोड़ों लोगों के रोज़गार से संबंधित विषय है। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव (बिहार): यह करोड़ों लोगों का मामला है। ...**(व्यवधान)**..

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I suggest that if an assurance is not forthcoming, as it stands, the sense of the House has been communicated to the Government that no further decision on FDI and retail will be taken without taking the House into confidence. This sense of the House stands communicated to this Government. This can be done.

SHRI SHAHID SIDDIQUI: Sir, we want an assurance from the Government.

SHR DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I am not talking about assurance. It is not a question of assurance. It is about the two-way communication system, the parliamentary system. We have discussed it the other day also. He has talked about *bhavna*. So far as this House is concerned, the sense of the Hosue that the Parliament should be taken into confidence before any decision is taken stands communicated to the Government. That is all we want ...*(interruptions)*....

श्रीमती सुषमा स्वराज: यही हम कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... पूरे सदन का ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: मंत्री इसके बारे में बोले। ...**(व्यवधान)**... आपकी डायरेक्शन चाहिए। ... **(व्यवधान)**... आप डायरेक्शन दें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Would you not agree even to that? ...*(interruptions)*...

श्री सभापति: एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... जैसा दीपांकर मुखर्जी ने कहा है कि सदन की भावनाओं से और आज की प्रोसीडिंग्स से मैं सरकार को अवगत करा दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह तो वे कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: वे नहीं कह रहे हैं, मैं ...**(व्यवधान)**..

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You should communicate to the Hosue... *(interruptions)*...

श्री सभापति: मैं कम्युनिकेट करूंगा।...(**व्यवधान**)... अगर सदन की भावना इस प्रकार की है ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव: ये आपकी भावना का ख्याल नहीं रखेंगे।...(**व्यवधान**)... अगर आपकी भावना का भी ...(**व्यवधान**)... आपकी भावना को भी कुचल देंगे। सरकार बैठी है, यह पक्का मुकम्मल जवाब दे।...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वे अवगत कराएंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सदन की भावनाओं से मैं सरकार को अवगत करा दूंगा।...(**व्यवधान**)... Now, Mr. Dipankar Mukherjee.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, from FDI I now come to another subejct. I invite the attention of the House to the plight of the....

MR. CHAIRMAN: You would be given four minutes to speak.

Alleged violation of labour laws by a diamond manufacturing company in Export Processing Zone

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिम बंगाल): मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा । Sir, all that have been talking about and this subject are inter-related. What we see today in this country is, globalisation of prices and Indianization of wages. The prices have global parity, while wages are not. I wish to bring to the attention of the House the case of 1150 workers employed in a Vizag export Processing Zone unit—I shall not mention the name of the company -- who have certain grievances. At present, they draw a salary of Rs. 1200 per months. For the last seven years, this company, a diamond manufacturing company in the Export Processing Zone, is violating all labour laws. There was a strike in 2002. It was oppressed by the then Government and the issue was referred to the ILO, The ILO, had given a directive in 2003 that certain basic labour laws have to be adhered to and certain trade union rights need to be given.

This was not followed. For the last two months, I had been going there and the plight is this that someone who has obtained first division in the high school, completed ITI with 97 per cent is getting only Rs. 1200. The other day, we were talking about the minimum wage of Rs. 60. This is for the skilled workers. They are violating these laws. Now workers, who have